**प्रेस विज्ञप्ति**

**23.03.2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, भारती बिल्डर्स द्वारा घर खरीदारों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में, मेसर्स भारती बिल्डर्स, उसके साझेदारों, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से संबंधित 17.97 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

ईडी ने ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन, साइबरबाद, तेलंगाना द्वारा दिनांक 04.05.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 10/2024 के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें मुलपुरी शिवराम कृष्णा, दुपति नागा राजू, डोड्डाकुला नरसिम्हा राव उर्फ पोन्नारी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 1860 और तेलंगाना वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं के संरक्षण अधिनियम, 1999 की धारा 5 के तहत मेसर्स भारती बिल्डर्स द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के घर खरीदारों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था।

पीएमएलए की जांच में पता चला कि भारती बिल्डर्स के प्रबंध भागीदार मुलपुरी शिवराम कृष्णा ने दुपति नागरजू की सहायता से एक प्री-लॉन्च योजना शुरू की, जिसके तहत 450 से अधिक घर खरीदारों को "भारती लेक व्यू टावर्स" परियोजना में फ्लैट बेचने के वादे पर बेईमानी से बड़ी रकम हड़प ली गई। मुलपुरी शिवराम कृष्णा ने निवेशकों/घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, परियोजना के पूरा होने का आश्वासन दिया, जबकि जानबूझकर इस तथ्य को छिपाया और छुपाया कि परियोजना के विकास के लिए वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त नहीं की गई थीं और भूमि पहले से ही उनके द्वारा लिए गए ऋणों के बदले गिरवी रखी गई थी। भारती बिल्डर्स और प्रमोटरों की देनदारियों को भी घर खरीदारों से जानबूझकर छुपाया गया।

आरोपियों ने निवेशकों को अपने प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें धोखा दिया, जिससे उन्होंने घर खरीदारों से अग्रिम राशि के रूप में लगभग 75 करोड़ रुपये की अपराधिक आय अर्जित की। आरोपियों ने घर खरीदारों से 17 करोड़ रुपये नकद भी वसूले।

परियोजना को पूरा करने के बजाय, घर खरीदारों के धन का दुरुपयोग अग्रिमों पर ब्याज के भुगतान, देनदारियों के पुनर्भुगतान, अचल संपत्तियों में निवेश, बैंकिंग निधियों को नकदी में परिवर्तित करने के लिए कमीशन के भुगतान और परियोजना से असंबंधित अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया। भारती बिल्डर्स द्वारा परियोजना के लिए खरीदी गई जमीन के टुकड़े असंबंधित व्यक्तियों को बेच दिए गए। इसके अलावा, परियोजना की जमीन की बिक्री को जानबूझकर घर खरीदारों से छिपाया गया और मुलपुरी शिवराम कृष्णा ने जमीन बिकने के बावजूद ग्राहकों से अग्रिम राशि वसूलना जारी रखा।

आगे की जांच जारी है।